मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संपर्क हैल्पलाइन पर सुनी लोगों की समस्याएं

राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण कर परिवादियों से किया सीधा संवाद

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हैल्पलाइन के माध्यम से आमजन से सीधा संवाद किया। शर्मा ने उनसे आत्मीयता से बात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा अधिकारियों को उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आमजन से राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया।

शर्मा से कोटपूतली-बहरोड़ के मोहम्मदपुर नंगलिया खोहरी निवासी पिंकी यादव ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए निवेदन किया। इसी तरह डूंगरपुर के बोड़ीगामा छोटा गांव से जितेन्द्र ने जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

वहीं प्रतापनगर, जयपुर की निवासी लाजवंती ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनकी समस्याओं का समाधान कर राहत देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को रतनगढ़ चूरू के भोजासर से किशनलाल ने मकान का पट्टा जारी नहीं होने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित होने की जानकारी दी। किशनलाल ने शर्मा से शीघ्र पट्टा जारी करवाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इनके मकान का पट्टा जारी करने के लिए निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 पर लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी।

- मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया
- संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : भजनलाल शर्मा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, शिकायत पंजीकरण की प्रणाली तथा फॉलो-अप प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए संपर्क पोर्टल पर आ रही समस्याओं की अधिक से अधिक मॉनिटरिंग हो, जिससे परिवादी की समस्या का समयबद्ध निस्तारण हो सके। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसी दिशा में 181 हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन घर बैठे अपनी समस्या दर्ज करवाकर उसका शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं।

2 रिटायर्ड आरएएस के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति को मंजूरी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 19 के तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध न्यायिक प्रकरणों में पक्षकारों के साथ कूट-रचना करने तथा नियम विरूद्ध कार्यवाही करने के आरोपों में अभियोजन स्वीकृति जारी की है। शर्मा ने राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा के 1 अधिकारी द्वारा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों को अपनाने के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध संचालित वृहत्त शास्ति के अनुशासनात्मक कार्यवाही के 2 प्रकरणों में वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड को अनुमोदित किया तथा एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने का भी आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने 2 प्रकरणों में नियम 34 सीसीए के तहत पुनरावलोकन याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा तथा 1 प्रकरण में राहत प्रदान करते हुए विभागीय जांच कार्यवाही को प्रस्ताव स्तर पर ही समाप्त किए जाने का अनुमोदन किया है।

5 नवीन किसान पथ बनेंगे

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, मेडता सिटी के अंतर्गत 5 नवीन सम्पर्क सड़कों (किसान पथ) के निर्माण के लिए 5 करोड़ 60 लाख रूपये से अधिक की राशि स्वीकृति की है।

राजस्थान में जर्जर सरकारी स्कूल भवनों के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते सदन का माहौल गर्माया, हालात बिगड़ते देखकर विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान विधानसभा की 16वीं विधानसभा के पांचवें सत्र में शुक्रवार को जर्जर सरकारी स्कूल भवनों के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के चलते सदन का माहौल गरमा गया। हालात बिगड़ते देख विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। जर्जर स्कूल भवनों को लेकर नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों के सर्वे को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्कूल भवनों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनकी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इस दौरान विधायक संदीप शर्मा ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में विद्यालय भवन समय से पहले ही जर्जर हो चुके हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ऐसे भवनों को जमींदोज करने का विचार रखती है और जिन भवनों का निर्माण तय समय से पहले खराब हुआ है, उन मामलों में संबंधित संवेदकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 41 हजार 178 विद्यालय भवन ऐसे हैं, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इनमें से 1680 भवनों की मरम्मत के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जर्जर भवनों को तकनीकी प्रशिक्षण और आकलन के आधार पर एक ही बार में जमींदोज किया जाता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।सदन में मंत्री दिलावर ने यह भी बताया कि भारत सरकार की ओर से इस मद में 1000 करोड़ रुपये देने का आश्वासन मिला है। अब भवनों के निर्माण की तिथि के साथ-साथ मरम्मत की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा स्कूल भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण की व्यवस्था भी लागू की जा रही है।इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में आज भी मंदिरों और अस्पतालों में स्कूल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 3768 स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं, लेकिन सरकार का ध्यान केवल तबादलों पर केंद्रित है, न कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था परानेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मंदिरों में 30 से 40 वर्षों से स्कूल संचालित होने की स्थिति कांग्रेस शासन की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भवन निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ और निर्माण के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।

- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ''पिछली कांग्रेस सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों के सर्वे को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया। वर्तमान सरकार ने ऐसे स्कूल भवनों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनकी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

एंबुलेंस ड्राईवर से की हाथापाई

जयपुर। बाइस गोदाम सर्किल पर एक ऑडी कार सवार एक अमीरजादे ने आगे निकलने की होड़ में सारे नियम कायदों को ताक में रखते हुए मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस के आगे खुद की कार लगा कर उसे रोक लिया और हाथापाई पर उतर आया। यही नहीं ऑडी कार सवार चालक ने एंबुलेंस की चाबी छीनने का प्रयास किया। एंबुलेंस रोक कर चालक से हाथापाई होती देख राहगीर मौके पर जमा हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनो पक्षों से समझाईश कर मामले को शांत कराया।

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं. ए-325, जेडीए स्कीम पन्नाधाय नगर को ऑरिजिनल अलॉटमेंट लैटर, कब्जा पत्र कहीं गिर गया है कृपया मिलने पर सूचित करें। विजय कुमार गुप्ता-9783758484

मेरे फ्लैट नं. 8/SA/807 स्टूडियो अपार्टमेंट प्रताप नगर, जयपुर का आवंटन पत्र क्रमांक 4311 जारी दिनांक 13 जून 2025 कहीं गिर गया है मिलने पर सूचित करें। मो. 9667768020

मेरा मकान सं. 170/44 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, मूल कब्जा पत्र, मूल भौतिक कब्जा पत्र कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें-9414214470

NAME CHANGE

I have change my name SHEKHAWAT VIKRAMSINGH TEJSINGH TO VIKRAM SINGH SHEKHAWAT S/o Tej Singh for all future purpose. R/o Shri Madhopur, Ward no 13 Mundru, Sikar, Rajasthan 332712

I Anju lakhi Wife of Jatinder Paul Chugh Resident of Plot no. E-161 Ambabari Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 I have changed my Name From Anju Lakhi to Diksha Chugh for all Purposes. In Future. I shall Be known as Diksha Chugh.

I army no 15474617L Ex DFR Dinesh kumar resident of 198-A Saraswati path Tara nagar jhotwara jaipur that I want to change my spouse name from KAMLESH TO KAMLESH DEVI vide affidavit dated 4.1.2026 before sub divisional officer chomu jaipur.

I army no JC210086F Ex SUB/MAJ (Hony LT) Shriram Sharma resident of singod kallan teh chomu district jaipur that I want to change my spouse name from SANTOSH TO SANTOSH DEVI SHARMA vide affidavit dated 29.01.2026 before sub divisional officer chomu jaipur.

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा
जिला कोटपूतली-बहरोड़
जितेन्द्र वगैरह बनाम बंशी वगैरह
वाद सं. 174/25
बनाम-

1. अनिता कंवर पत्नि महावीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी शिवनगर तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान 2. आंची पुत्री लादुराम, जाति अहीर, निवासी- मानसरोवर 3. कमलेश पुत्री धूड़मल 4. कमला देवी पत्नि पप्पूराम 5. केशरी पुत्री लादूराम 6. प्रभाती पुत्री लादूराम 7. ममता देवी पत्नि जयराम जातियान अहीर, निवासी शिवनगर, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान 8. सितेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी मानसरोवर, जयपुर वादी ने आपके विरूद्ध वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 10.02.2026 को दिन में प्रातः 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद तारीख 28.01.26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतल-बहरोड़)
34 / 28/01/26 (मोहर)

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश पूर्व जयपुर महानगर-1, जयपुर
राजेश मोटर्स ऑटो प्रा.लिमिटेड बनाम कैलाश चन्द व अन्य
वाद सं. 3सन् 2024

कैलाश चन्द पुत्र श्री स्वामीराम निवासी ई-56-ए, मोनिका विहार आई एस टी मांगयावास वार्ड नं. 29 मानसरोवर जयपुर राजस्थान
वादी ने आपके विरूद्ध नकल संलग्न है के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 18 माह 2 सन् 2026 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 30 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

आज्ञा से-रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्व) जयपुर महानगर प्रथम
(मोहर अदालत)

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य सोनू सैन पुत्र श्री भंवरलाल सैन, ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को स्वर्गीय जयमाला पत्नी लक्ष्मीनारायण बैरवा ग्राम कपूरावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने आवासीय प्लॉट नंबर 21, 22, 23 दी राजहंस कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, जयपुर रजिस्ट्रेशन नंबर 1617/एल की योजना केशव विहार स्थित ग्राम रेनवाल मांजी, सी.टी.एस. बस स्टेण्ड डिग्गी रोड, जिला जयपुर-राजस्थान में स्थित की दिनांक 15.03.2024 को रजिस्ट्री अपने हक में करवा रखी है उसके पुत्र कुनाल बैरवा, लक्की बैरवा को उक्त सोसायटी से डुप्लीकेट पट्टे प्राप्त कर एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, दान, वसीयत, बेचान, अंतरण इत्यादि का अधिकार नहीं है। इन लोगों से डुप्लीकेट पट्टों के आधार पर संव्यवहार करने पर कानूनन शून्य, अवैध, निष्प्रभावी होगा।
दिनांक-20.01.2026 (बृजराज सिंह राठौड़) एडवोकेट मो.नं. 9828446233

कार्यालय ग्राम पंचायत आकोडिया पं.स. कोटखावदा (जयपुर)

क्रमांक/ग्रा.पं./2025-26/ई-निविदा/16 दिनांक-27.01.2026

ई-निविदा सूचना 03/2025-26

पंचायत समिति कोटखावदा के ग्राम पंचायत आकोडिया में SFC+FFC (ZP+GP) क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 16.00 लाख का 3 कार्य स्वीकृत है। कार्यो को सम्पादित कराने हेतु पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 181(2) के अन्तर्गत तथा राजस्थान लोक उपापन पार्दर्शिता नियम 2013 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त जानकारी कार्यालय समय में एवं राजस्थान उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाएं ऑनलाईन प्राप्त करने एवं अपलोड करने की दिनांक 28.01.2026 से 06.02.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी।
NIB NO. KHW2526A0049,
UBN NO. KHW2526WSOB00088 TO KHW2526WSOB00090
प्रशासक ग्राम पंचायत आकोडिया — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आकोडिया

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवप्रयक सूचना

मूलतः आवास संख्या 4 / 187, एन.ई.बी विस्तार योजना, अलवर जो कि श्रीमती विनिता शर्मा पत्नी श्री विशोक शर्मा को आवंटन पत्रांक 1869 दिनांक 16.06.2005 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अदेव प्रमाण पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 18.05.2006 को श्रीमती विनिता शर्मा के नाम जारी कर दिया गया था। श्रीमती विनिता शर्मा द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 26.12.2008 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्रीमती विनिता शर्मा द्वारा उक्त आवास का बेचान जये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.12.2008 को श्रीमती प्रेम देवी पत्नी डॉ. टेकचन्द को कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का नाम लीज हस्तांतरण कार्यालय आदेश क्रमांक 1808 दिनांक 15.09.2009 को श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री डॉ. टेकचन्द नाम से जारी कर दिया गया। श्रीमती प्रेम देवी द्वारा आवास का बेचान जये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20.11.2024 को श्री लालचन्द पुत्र श्री छोटेलाल को कर दिया गया। श्री लालचन्द द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु दस्तावेज एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 4/187, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री लालचन्द पुत्र श्री छोटेलाल के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली बहरोड
जितेन्द्र वगैर बनाम बंशी वगैर
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्त टी.आई.नंबर-161/25

बनाम-(1) अनिता कंवर पत्नि महावीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी शिवनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड, राजस्थान (2) आंची पुत्री लादुराम जाति अहीर निवासी मानसरोवर, (3) कमलेश पुत्री धूडमल, (4) कमला देवी पत्नि पप्पूराम, (5) केशरी पुत्री लादूराम, (6) प्रभाती पुत्री लादूराम, (7) ममता देवी पत्नि जयराम जातियान अहीर निवासी शिवनगर तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान (8) सितेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत निवासी मानसरोवर जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 10 माह 02 सन् 2026 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज तारीख 28 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)
(मोहर अदालत)

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 413/2026
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमती ममता शर्मा पत्नि स्व. आलोक शर्मा विवाद स्थान 111/140 विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर
मृतक स्व. आलोक शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 18.02.2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. आलोक शर्मा पुत्र स्व. जे.पी. शर्मा निवासी 111/140 विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 18 माह 02 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 17 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीया ने मृतक आलोक शर्मा के नाम प्रा.पत्र में वर्णित राशियों बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।

आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम
(मोहर अदालत)

न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर

वाद संख्या-49/2025
दीपक लदीवाल व अन्य बनाम नगर निगम जयपुर व अन्य
प्रतिनिधित्व वाद पत्र
नोटिस अन्तर्गत आदेश 01 नियम 08 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

चूंकि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिनिधित्व वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें मकान नं. 589 गोपाल जी का रास्ता, चौकडी विश्वेश्वर जी जयपुर स्थित जी+3 अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण से उत्पन्न लोक न्यूसेंस और नगर निगम बायलॉज के उल्लंघन का उल्लेख है।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त वाद में स्वहित रखता हो तो वह दिनांक 31.01.2026 को प्रात 10.00 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार बन सकता है। अन्यथा वह भविष्य में कोई आपत्ति नहीं उठा सकेगा।
यह आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
(मोहर अदालत)

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला - अजमेर (राज)

क्रमांक / नपकि / विकास / 2026 / 3047 दिनांक 23.01.2026

ई-निविदा सूचना संख्या - 36/2025-2026

नगर परिषद किशनगढ की ओर से नगर परिषद किशनगढ एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार निर्धारित श्रेणी सिविल कार्यो में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से ऑन लाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 27.01.2026 को 05:30 पी एम से तथा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक 06.02.2026 को 06:00 पीएम तक एवं निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।
यूबीएन नं. DLB2526B0865
राज.संवाद / सी / 25 / 18788
आयुक्त नगर परिषद्, किशनगढ़

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

नेहरू प्लेस शाखा, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान 302015
मोबाईल नं.: 8094018323, ई-मेल: nehjai@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।
आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''जितनी भी उपलब्ध है'' के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./ लोट नं.	ऋणियों/जमानतदारों/ बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/ वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	मैसर्स ताज पेपर उद्योग जैन नसिया रोड़, जैन हॉस्टल के पास, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान एवं 387, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान प्रोपराईटर- श्री अब्दुल जब्बार पुत्र स्व. श्री अजीमुल्ला 387, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान जमानतदार- श्री शौकत अली पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार 131, देश वालों की गली, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	श्री अब्दुल जब्बार पुत्र स्व. श्री अजीमुल्ला के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 387, कागजी मोहल्ला, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 296.30 वर्ग गज है। सीमाएं- पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः श्रीमती भूरी का मकान एवं अन्य मकान, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः श्री अब्दुल गफ्फार का मकान एवं रास्ता अन्य ऋण भारः ज्ञात नहीं	रूपये 81,87,062.36 दिनांक 23.08.2025 को बकाया (दिनांक 23.08.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	07.03.2026 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 74,93,000/- धरोहर राशि- रूपये 7,49,300/- बोली वृद्धि राशि- रूपये 20,000/-	सांकेतिक	27.02.2026 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाईल नं. 8094018323 पर संपर्क कर सकते है।
दिनांक: 29.01.2026
स्थान: जयपुर
हस्ता. प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन) नगर निगम जयपुर

(अम्बाबाड़ी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाड़ी सर्किल, जयपुर)
क्रमांकः एफ-55 () वि.जोन/ न.न.नि./2025-26/3514 दिनांकः 28.01.26

सार्वजनिक सूचना भूखण्ड सं. 160, बृजमण्डल, छोटवाड़ा, जयपुर का गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा श्री एस. एन. दहिया पुत्र श्री छत्तर सिंह के पक्ष में क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज भूमि का आवंटन जारी किया गया था। श्री एस.एन. दहिया पुत्र श्री छत्तर सिंह ने जरिये अपंजीकृत इकरारनामा, वसीयतनामा एवं मुखत्यारनामा आम दिनांक 03.08.1999 को उक्त भूखण्ड श्री ए. एस. राठौड़ पुत्र श्री साधों सिंह को विक्रय कर दिया गया। श्री ए. एस. राठौड़ पुत्र श्री साधों सिंह ने जरिये अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 30.11.2001 को उक्त मूल भूखण्ड में से दक्षिणी भाग क्ष